महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 69वीं बैठक

दिनांक

30 सितम्बर, 2022

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 69वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 69वीं बैठक दिनांक 30.09.2022 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	**अध्यक्ष**
2. प्रो. ऋतु माथुर, संकायाध्यक्ष–स्नातकोत्तर अध्ययन	**सदस्य**
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष–महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष–रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो–इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	**सदस्य**
4. प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष–समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	**सदस्य**
5. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष–प्रबन्ध अध्ययन संकाय, संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	**सदस्य**
6. प्रो. आशीष भट्नागर, संकायाध्यक्ष–विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	**सदस्य**
7. डॉ. गीता शर्मा, संकायाध्यक्ष–ललित कला संकाय	**सदस्य**
8. डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष–विधि संकाय एवं प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	**सदस्य**
9. डॉ. शमा खान, संकायाध्यक्ष–कला संकाय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर ।	**सदस्य**
10. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	**सदस्य**
11. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	**सदस्य**
12. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	**सदस्य**
13. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष– वनस्पतिशास्त्र विभाग	**सदस्य**
14. प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	**सदस्य**
15. श्री बजरंगलाल बैरवा, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, टौंक ।	**सदस्य**
16. कुलसचिव	**सदस्य–सचिव**

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	**सदस्य**
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	**सदस्य**
3. प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, संकायाध्यक्ष–शिक्षा संकाय, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, पुष्कर रोड़, अजमेर	**सदस्य**
4. डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	**सदस्य**
5. मोहम्द इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला–टौंक।	**सदस्य**
6. डॉ. अमित गुप्ता, सह–आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय साईंस कॉलेज, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	**सदस्य**

सर्वप्रथम मान्नीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय की प्रगति में सभी से रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा की । तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 67वीं बैठक दिनांक 20.12.2021 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (67) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2021/212-230 दिनांक 04.01.2022 को प्रेषित की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 68वीं बैठक दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (68) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2022/10479–502 दिनांक 20.04.2022 को प्रेषित की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 03	विद्या परिषद् की 67वीं बैठक दिनांक 20.12.2021 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी । लेकिन सदस्यों ने कहा कि इसमें लिखा जाना चाहिए कि क्या कार्यवाही की ? केवल नोट किया जाना उचित नहीं ।**	
मद सं0 04	विद्या परिषद् की 68वीं बैठक दिनांक 12.04.2022 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-4)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी । लेकिन सदस्यों ने कहा कि इसमें लिखा जाना चाहिए कि क्या कार्यवाही की ? केवल नोट किया जाना उचित नहीं ।**	

मद सं0 05	आयोजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड (Planning and Monitoring Board) की दिनांक 08 जुलाई, 2022 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त की निम्न प्रेक्षणों के साथ पुष्टि की गयीः-** **1. <u>निर्णय संख्या 03</u>:-** **(1) निर्णय संख्या 03 (1) की चौथी पंक्ति में अंकित "असिस्टेंट लेब बॉय की....." शब्द के आगे "संविदा के रूप में हायर करना/" शब्द जोड़ा जाय ।** **(2) निर्णय संख्या 03 (2) में अंकित विद्या सम्बल योजना को राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप लागू करने का निर्णय लिया गया । प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाय। प्रो. रीटा मेहरा ने इस पर Note of dissent अंकित कराया ।** **(3) निर्णय संख्या 03 (3) में अंकित "बी.फार्मा एवं डी.फार्मा" प्रारम्भ करने के निर्णय पर चर्चा की गयी । विश्वविद्यालय में D.Pharma एवं B.Pharma कोर्स प्रारम्भ किये जाने के क्रम में Infrastrusture तथा Labs तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया ताकि Pharmacy Council of India से नियमानुसार निरीक्षण करवाया जा सके । प्रो. रीटा मेहरा को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की । प्रो. रीटा मेहरा ने कहा कि विश्वविद्यालय में D.Pharma एवं B.Pharma कोर्स से संबंधित संकाय नहीं होने के कारण उक्त कोर्स प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है । अतः उनके द्वारा इस निर्णय पर Note of dissent अंकित कराया ।** **2. <u>निर्णय संख्या 05</u> के अन्त में बिन्दु संख्या 09 इस प्रकार जोड़ा जाय कि- "यदि किसी विभाग से बेस्ट प्रेक्टिस का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसे भी सम्मिलित किया जाय ।"**	
मद सं0 06	विश्वविद्यालय के डॉ. शंकर लाल, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय दिनांक 31 अगस्त, 2022 को सेवानिवृत हो गये है । इनके सेवानिवृत होने के उपरान्त संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय का पद रिक्त हो गया है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (1) एवं 2 (2) के प्रावधानों के तहत संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय की नियुक्ति किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया । सदन के द्वारा संकायाध्यक्ष-वाणिज्य की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित 03 शिक्षकों के नामों की संस्तुति की गयीः- 1. डॉ. राजकुमार नागरवाल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर । 2. डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, प्राचार्य, दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर । 3. डॉ. प्रेरणा जैन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर । सदन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा वोटिंग की गयी जिसमें डॉ. राजकुमार नागरवाल एवं डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा को 7-7 वोट मिले । अतः सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि दोनों शिक्षकों को पत्र प्रेषित कर 07 दिवस में उनका बायोडेटा मंगवाया जाय तथा प्राप्त बायोडेटा के आधार पर संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय नियुक्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । बिन्दु संख्या 01 एवं 02 पर अंकित शिक्षकों में से यदि कोई शिक्षक पत्र प्रेषण के पश्चात् सात दिन की अवधि में अपना बायोडेटा प्रेषित नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि वह शिक्षक संकायाध्यक्ष बनने का इच्छुक नहीं है ।	
मद सं0 07	श्रीमती वसुंधरा सक्सैना, व्याख्याता गृह विज्ञान विभाग, श्रीमती सुशीला देवी माथुर कन्या महाविद्यालय, महिला आश्रम, भीलवाड़ा (राजस्थान) ने पत्र (कार्यसूची का परिशिष्ट-6) के माध्यम से अवगत कराया कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी.एससी. (गृह विज्ञान) कोर्स संचालित है । इस पाठ्यक्रम में सीनियर सैकण्डरी (वाणिज्य) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र नहीं है जबकि कला एवं विज्ञान से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र है । अतः उन्होंने निवेदन किया है कि बी.एससी. (गृह विज्ञान) कोर्स हेतु सभी संकायों से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण को पात्र मान्य किया जाय ताकि संबंधित कोर्स में नामांकन बढ़ सके । उक्त के संबंध में संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं संयोजक-गृहविज्ञान अध्ययन बोर्ड से भी राय प्राप्त की गयी एवं उन्होंने भी बी.एससी. (गृह विज्ञान) कोर्स में वाणिज्य संकाय से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्र माने जाने की अनुशंसा की है । अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I

निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 08	बाहरी देशों की भाषाओं का ज्ञान संस्कृति, व्यापार और ज्ञान के नए आयाम खोलता है । इनके अध्यापन पर नई शिक्षा नीति में भी जोर है । अतएवः विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत है कि क्या भाषा अध्यापन की ऐसी व्यवस्था विश्वविद्यालय में लागू की जा सकती है जिसमें किसी देश के दूतावास द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था को Memorandum of Understanding के आधार पर अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जाए ? यदि हां, तो इस हेतु Memorandum of Understanding की भाषा, नियम इत्यादि की क्या व्यवस्था होनी चाहिए । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-7)** अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में भाषा अध्यापन की व्यवस्था लागू करने तथा इस संबंध में एम.ओ.यू. किये जाने के लिए एक समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । प्रो. रीटा मेहरा को छोड़कर सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की । प्रो.रीटा मेहरा ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम में किसी भी संस्था से एम.ओ.यू. किये जाने का प्रावधान नहीं है । प्रो. रीटा मेहरा ने अपना Note of dissent अंकित कराया ।**	
मद सं0 09	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प. 18 (5)/शिक्षा-4/2019 CMO PT जयपुर, दिनांक 29.10.21 एवं 17.12.2021 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-8)** के द्वारा अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर लोक देवता बाबा रामदेव जी के इतिहास एवं साहित्य को उच्च शिक्षा में सम्मिलित करवाये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर विश्वविद्यालय की टिप्पणी/अभिमत तथा कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें । उक्त के संदर्भ में कार्यालय द्वारा संकायाध्यक्ष-कला एवं संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान से टिप्पणी प्राप्त की गयी । संकायाध्यक्ष-कला एवं संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान द्वारा कला संकाय के इतिहास, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं भूगोल विषय में लोक देवता बाबा रामदेव के इतिहास एवं साहित्य को जोड़ने की अनुशंसा की गयी । प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष	**शैक्षणिक-I**

	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये । अतः संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जब पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाय तब लोक देवता बाबा रामदेव के इतिहास एवं साहित्य को कला संकाय एवं समाज विज्ञान संकाय के विषयों में आवश्यकतानुसार जोड़ने हेतु संबंधित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति निर्णय करे ।**	
मद सं0 10	सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक एफ.1(6)Edu-4/2010 दिनांक 19.08.2020 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियम 2018 में उल्लेखित बिन्दुओं में से निम्न 01 से 07 को अंगीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:- 1. The University shall a bide by the terms & conditions as laid down in order no. F1(4)Edu-4/2016 dated 01-10-2018. 2. The Age of superannuation shall be 60 years. 3. Full pension i.e., 50% of average pay or last pay drawn whichever is higher after 28 years of qualifying service or as prescribed by the Government. 4. (i) Direct Recruits on the post of Assistant Professor and eqivalent posts shall be appointed as Probationer Trainee for 2 years and allowed fixed remuneration as per State Government Rules and Guidelines. (ii) Direct Recruits on the post higher than the post of Assistant professor and equivalent posts shall be appointed on 'probation' of one year as per the provisions of rule 26 of RSR. 5. The provisions of Regulation, 2018 shall be strictly applicable for grant of CAS (excluding post of Senior Professor) from the date of issue of orders by the State Government for adoption of Regulation, 2018. 6. Advance increments for possessing higher qualification of Ph.D. and M.Phil shall not be given as the incentive strcture is built in the pay structure itself wherein those having M.Phil and Ph.D will progress faster under CAS.	**संस्थापन**

	7. The re-employement of the retired Assistant Professor, Associate Professor and Professor on contract basis shall be upto the age of 65 years instead of 70 years.	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार पूर्व में ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सेवा नियम बने हुए है । अतः राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन करने पर ही उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय । सदस्य सचिव ने इस बारे में अपना अभिमत रखा कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए ।**	
मद सं0 11	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** (1) <u>प्रतिवेदित है कि</u> विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सोफिया कन्या महाविद्यालय, अजमेर को वर्ष 2015 से सोफिया कन्या महाविद्यालय (स्वायत्तशासी), अजमेर स्वायत्तशासी महाविद्यालय का स्टेटस प्रदान किया गया। उक्त महाविद्यालय को स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में प्रथम बार वर्ष 2017 में एम.ए. अंग्रेजी, एम.ए. भूगोल, एम.कॉम. एबीएसटी एवं एम.एससी. कम्प्यूटर साइंस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सफल छात्राओं को उपाधि जारी किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उपाधि प्रारूप तैयार करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों की समिति का गठन किया गयाः- 1. प्रो0 नीरज भार्गव 2. प्रो0 रीटा मेहरा 3. सहायक कुलसचिव (वित्त व लेखा) 4. उपकुलसचिव (उपाधि) उक्त समिति द्वारा सोफिया कन्या महाविद्यालय (स्वायत्तशासी), अजमेर को प्रथम बार वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय की उपाधि जारी किये जाने बाबत् संस्तुत उपाधि प्रारूप (**कार्यसूची का परिशिष्ट-09**) को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 17.09.2021 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके उपरान्त अनुमोदित प्रारूप के अनुसार सोफिया कन्या महाविद्यालय (स्वायत्तशासी), अजमेर को प्रथम बार वर्ष 2017 में एम.ए. अंग्रेजी, एम.ए. भूगोल, एम.कॉम. एबीएसटी एवं एम.एससी. कम्प्यूटर साईंस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सफल छात्राओं को उपाधि जारी किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 06.10.2021 को आदेश प्रदान किये गये। माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.10.2021 की अनुपालना में अनुमोदित प्रारूप के अनुसार सोफिया कन्या महाविद्यालय (स्वायत्तशासी),	उपाधि

	अजमेर से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर उक्त महाविद्यालय को प्रथम बार वर्ष 2017 में **एम.ए. अंग्रेजी, एम.ए. भूगोल, एम.कॉम. एबीएसटी एवं एम.एससी. कम्प्यूटर साईंस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों** में सफल छात्राओं की उपाधियां जारी की गई। अतः माननीय कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश की पालना में की गई कार्यवाही विद्या परिषद की बैठक में पुष्टि प्रस्तुत है।	
निर्णय	**सूचित किया गया ।**	
	(2) <u>प्रतिवेदित है कि-</u> In exercise of the power vested under section 19 (18) of the Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer (Amendement) Act, 2017 the Hon'ble Vice Chancellor vide his order dated 29-06-2022 has been pleased to order to adopt and implement the following provision of the **UGC Public Notice on "Extension of date for submission of thesis for terminal M.Phil/Ph.D. Student" issued on 17th May, 2022.** In continuation of UGC Public Notice dated 1st December, 2021 on the above mentioned subject and keeping in view the larger interest of the research scholars, it has been decided by the UGC that an extension of up to six months, beyond 30th June, 2022, may be given to the studnets by their respective Higher Educational Institutions, on case-to-case basis based on the review of student's work by the Research Advisory Committee and on the recommendation of the supervisor and the Head of the Department of each individual case. Such extension may also be granted for submitting evidence of publication and presentation in two Conferences. However, tenure of fellowship will remain up to five years only. अतः माननीय कुलपति महोदय के उपर्युक्त आदेश की पालना में की गई कार्यवाही विद्या परिषद की बैठक में पुष्टि प्रस्तुत है।	**शोध**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा, 2021 में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी के प्राप्तांकों का क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रोन्नत कर मूल अंकतालिका जारी किया जाने का निर्णय लिया ।	**परीक्षा नियंत्रक**

	लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक भी सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी के अंक वैबसाईट पर अपलोड नहीं किये, उनका परीक्षा परिणाम अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों में प्रश्न पत्रवार न्यूनतम उत्तीर्णांक करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 21.09.2022 एवं आदेशों की अनुपालना में जारी पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 24.09.2022 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)**	
निर्णय	**सूचित किया गया ।**	
मद सं0 12	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक-द्वितीय विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 14 ( )शैक्ष-II/ मदसविवि/2020/12199-223 दिनांक 01.07.2020 की अनुपालना में विश्वविद्यालय परिसर में एम.एससी भूगोल (स्ववित्त पोषित) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया तथा उक्त पाठ्यक्रम हेतु 40 सीटों का निर्धारण किया गया था। सत्र 2020-21 व 2021-22 में इस कोर्स में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र 50 प्रतिशत से भी कम होने के कारण एम.एससी. भूगोल पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में संचालित नहीं हो सका । विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम.एससी. भूगोल/एम.ए. भूगोल कोर्स संचालित है तथा पाठ्यक्रम (Syllabus) में भी कोर्स का नाम एम. एससी. भूगोल/एम.ए. भूगोल ही अंकित किया हुआ है । सम्बद्ध महाविद्यालयों में उक्त कोर्स का नाम एम.एससी. भूगोल/एम.ए. भूगोल होने के कारण इस कोर्स हेतु बी.एससी./बी.ए. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है जबकि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित कोर्स का नाम एम.एससी. भूगोल है एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की भांति ही विश्वविद्यालय में भी बी.एससी./बी.ए. उत्तीर्ण छात्रों से प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र स्वीकार किये जा रहे है जबकि विश्वविद्यालय परिसर में भी उक्त कोर्स का नाम एम.एससी. भूगोल/एम.ए. भूगोल किया जाना है । अतः विश्वविद्यालय में संचालित **"एम.एससी. भूगोल"** कोर्स का नाम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम (Syllabus) में अंकित कोर्स के नाम के अनुरूप **"एम.एससी. भूगोल/एम.ए. भूगोल"** किये जाने पर विचार कर निर्णय करना साथ ही एम.एससी. भूगोल में प्रवेश लेने वाले छात्रों को एम.एससी. भूगोल की उपाधि एवं एम.ए. भूगोल में प्रवेश लेने वाले छात्रों को एम.ए. भूगोल की स्नातकोत्तर उपाधि दिये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	**भूगोल विभाग**

निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 13	संकायाध्यक्ष समिति की दिनांक 06.09.2022 को MOOCS और SWAYAM के संबंध में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**नई शिक्षा नीति-2020 मे इस संबंध में निर्देश समाहित है । अतः तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया । प्रो.रीटा मेहरा ने MOOCS और SWAYAM लागू करने पर Note of dissent अंकित कराया ।**	
मद सं0 14	प्रो. मनोज कुमार, संयोजक-माइक्रो टास्क फोर्स (New Education Policy-2020) के द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के संबंध में जारी किये गये एक्शन प्लान के बिन्दु संख्या 01, 04, 05, 06 एवं 07 पर यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण विद्या परिषद् समक्ष प्रस्तुत किया जाकर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । अतः नई शिक्षा नीति-2020 हेतु जारी एक्शन प्लान के बिन्दु संख्या 01, 04, 05, 06 एवं 07 पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-12)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**नई शिक्षा नीति-2020 मे इस संबंध में निर्देश समाहित है । अतः तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 15	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक प 18 (10) शिक्षा-4/2020 जयपुर दिनांक 19.07.2022 के द्वारा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दिनांक 15 से 17 जून, 2022 तक मुख्य सचिवगण की नेशनल कांफ्रेंस में लिये गये एक्शन प्लान की प्रति प्रेषित कर संबंधित बिन्दुओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करते हुए अनुपालना रिपोर्ट उनको भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त की अनुपालना में कार्यालय द्वारा अनुपालना रिर्पोट तैयार कर संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को दिनांक 22.07.2022 को प्रेषित कर दी गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-13)** अनुपालना रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12 एवं 13 पर कार्यवाही विद्या परिषद् के निर्णयानुसार किये जाने का उल्लेख किया गया है ।	**शैक्षणिक-I**

	अतः संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा को प्रेषित अनुपालना रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12 एवं 13 पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**नई शिक्षा नीति-2020 मे इस संबंध में निर्देश समाहित है । अतः तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 16	सचिव, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर का पत्र क्रमांक रा.भा.सा.स./अकादमी/2022-23/161 दिनांक 29.08.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14)** में उल्लेख किया गया है कि- ''राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की सामान्य सभा का गठन होना है । राज्य सरकार के द्वारा अकादमी अध्यक्ष एवं दस सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया है । अकादमी विधान की धारा 9 (क) (3) के तहत आपके विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुमोदन पर एक प्रतिनिधि का मनोनयन होना है ।'' अतः राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर के सदन गठन हेतु एक प्रतिनिधि का मनोनयन करने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर डॉ. लक्ष्मीकांत व्यास को राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर के सदन गठन हेतु प्रतिनिधि मनोनीत किया गया ।**	
मद सं0 17	विद्या परिषद् की 67वीं बैठक दिनांक 20.12.2021 के मद संख्या 13 पर निर्णय लिया गया कि- **सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम की पुनर्समीक्षा (review) करने तथा परीक्षा स्कीम तथा शैक्षिक योजना को सभी संकायों के लिए एक समान रूप से तैयार करने हेतु संकायाध्यक्ष समिति को अधिकृत किया गया** । कार्यालय द्वारा उक्त समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व संकायाध्यक्ष समिति के संयोजक निर्धारण हेतु पत्रावली माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित की गयी । माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 28.01.2022 की अनुपालना में प्रो. आशीष भट्नागर को संकायाध्यक्ष समिति का संयोजक नियुक्त किया गया । संकायाध्यक्ष समिति के द्वारा सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कीम एवं शैक्षिक योजना सभी संकायों में एक समान रूप से तैयार	**शैक्षणिक-I**

	करने हेतु दिनांक 21.03.2022, 28.04.2022 एवं 21.05.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** को बैठक आयोजित कर कार्यवृत्त माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने अपने आदेश दिनांक 26.05.2022 के द्वारा बैठक का कार्यवृत्त आगामी विद्या परिषद् में प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान किये । अतः संकायाध्यक्ष समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति-2020 अतिशीघ्र ही लागू होने वाली है साथ ही प्रमुख सचिव-माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त पत्र के अनुसार केन्द्रीयकृत स्तर पर नवीनतम पद्धति को अपनाते हुए पाठ्यक्रम तैयार करवाकर उन्हें लागू किया जाना है । इसके मद्देनजर अल्प समय के लिए सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम के साथ नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया जाना उचित नहीं होगा । अतः सत्र 2021-22 में लागू पाठ्यक्रमों को यथावत ही सत्र 2022-23 हेतु लागू किये जाय साथ ही विश्वविद्यालय वैबसाईट पर भी वर्षवार पाठ्यक्रम अपलोड किये जाय एवं तद्नुसार ही विद्यार्थियों को अध्ययन कराये जाने बाबत् विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यो को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय । विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर पाठ्यक्रमों को अपलोड किये जाने से पूर्व अपलोड किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की जांच/पुष्टि प्रो. शिव प्रसाद करेंगे ।**	
मद सं0 18	श्री सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक एफ 1 (A)(12)आर.बी./2020/1975 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)** के साथ अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 110-1/2022 (SU-I) दिनांक 01.04.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-17)** की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उल्लेख किया है कि- "To take all possible stepsat State Government level to adopt CUET score for the purpose of admission to Undergraduate Programmes for the academic session 2022-23 onwards in your State Public Universities." प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने प्रकरण	**शैक्षणिक-II**

	विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये । अतः श्री सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ 1 (A)(12)आर.बी./ 2020/1975 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो उसके अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 19	डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प. 13 (122)/ शिक्षा-4/ 2022 जयपुर दिनांक 13.05.2022 के साथ श्री अविनाश गहलोत, विभाजन संख्या-11, माननीय सदस्य विधानसभा के द्वारा सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले दम्पति को **"भारत रत्न"** प्रदान करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भिजवाये जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को पूरा किये जाने के संबंध में सूचना चाही थी । प्रकरण में अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय से राय प्राप्त की गयी । उनके द्वारा 11 बिन्दुओं का अवलोकन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित बिन्दु संख्या 08 पर टिप्पणी/अनुशंसा की गयी कि महात्मा ज्योतिबा फुल और माता सावित्री बाई फुले पर शोध पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव अच्छा है परन्तु इस शोध पीठ की स्थापना तभी की जानी चाहिये जब समाज विज्ञान के विशेषज्ञ विश्वविद्यालय में उपलब्ध हो । वर्तमान में विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान में चार शोध पीठ संचालित है इनमें से तीन में विषय विशेषज्ञ न होने से Justify करना मुश्किल है । संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान की टिप्पणी/अनुशंसा का अवलोकन करने के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय ने प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में यथास्थान समावेश किये जाने के आदेश प्रदान किये । अतः डॉ. फिरोज अख्तर, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 13 (122)/शिक्षा-4/ 2022 जयपुर दिनांक 13.05.2022 पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-18)**	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार कर महात्मा ज्योतिबा फुल और माता सावित्री बाई फुले के इतिहास को समाज विज्ञान संकाय के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 20	पूर्व में अधोहस्ताक्षरकर्ता को फार्मेसी पाठ्यक्रम (डी. फार्मा तथा बी.फार्मा) प्रारम्भ किये जाने बाबत् दायित्व दिया गया था, परन्तु Pharmacy council of India के नियमानुसार Infrastrusture तथा Lab Facilities नहीं होने के कारण विद्या परिषद् से इन पाठ्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया था । माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में फार्मेसी पाठ्यक्रम (डी. फार्मा तथा बी.फार्मा) प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । इस बाबत् Pharmacy council of India से नियमानुसार निरीक्षण करवाकर सीट्स आवंटित करवाया जाना प्रस्तावित है । Pharmacy council of India के नियमानुसार Infrastrusture तथा Lab Facilities स्थापित करने के बाद ही इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकेगा । अतः प्रकरण पर विचार कर निर्णय करना ।	**प्रभारी डी.फार्मा तथा बी.फार्मा**
निर्णय	**मद संख्या 05 के निर्णय संख्या 3 (3) पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही करें ।**	
मद सं0 21	प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय ने अपने ई-मेल दिनांक 27 सितम्बर, 2022 के द्वारा अवगत कराया कि वह अपने वर्तमान संस्थान और एन.सी.ई.आर.टी. के कार्यो में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय के दायित्वों को सम्पन्न करने हेतु समय नहीं दे पा रहे है साथ ही इन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल में स्थानान्तरण हेतु भी एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली आवेदन भिजवाया हुआ है । इन तथ्यों के आधार पर इन्होनें संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय के दायित्वों से कार्यमुक्त करने का निवेदन किया है । अतः प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय के प्रार्थना-पत्र पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-19)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**प्रो. आयुष्मान गोस्वामी, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय के द्वारा प्रेषित त्याग-पत्र को स्वीकार किया गया तथा डॉ. एस.वी. शर्मा, प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर को संकायाध्यक्ष-शिक्षा नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी ।**	

मद सं0 22	विभागों को विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप से संबंधित एस.एस.ओ.आई.डी. एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत कराया जाना प्रस्तावित है क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों को एक से ज्यादा विभागों का दायित्व इंचार्ज के रूप में सौंपा गया है तथा समय-समय पर यह दायित्व परिवर्तित (इंटरचेंज) भी होते रहते हैं साथ ही लेख है कि राज्य सरकार द्वारा एक विभाग के शिक्षक को एक ही विभाग के स्कॉलरशिप की एस.एस.ओ.आई.डी. स्वीकृत की जाती है ऐसी स्थिति में छात्र स्कॉलरशिप के लिए परेशानी का सामना करते हैं एवं वंचित भी रहते है । ऐसी स्थिति में शिक्षकों की कमी और उन पर बढ़ रहे दायित्व एवं अतिरिक्त दायित्व इंचार्ज के रूप में बदलाव के मद्देनजर एक केन्द्रीकृत व्यवस्था विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के लिए पूर्व (लगभग चार-पांच वर्ष पूर्व) की भांति किये जाने साथ ही उक्त कार्य पूर्व की भांति किसी अधिकारी को सौंपे जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने संबंधी कार्य किये जाने हेतु संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया तथा इस कार्य में सहयोग करने हेतु पूर्व में कार्यरत कार्मिक को छात्र कल्याण केन्द्र में Attach किया जाय ।**	
मद सं0 23	कम्प्यूटर एप्लीकेशन भाग-प्रथम की परीक्षा में आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछे जाने के संबंध में दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर के कला एवं विज्ञान संकाय के अंतिम वर्ष के छात्रों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.09.2022 पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-20)**	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**B.A./B.Sc./B.Com. Part III के Voacational Computer Application के प्रथम पेपर Relational Data Base Management System के संबंध में जिन विद्यार्थियों से प्रश्न-पत्र आउट ऑफ कोर्स होने की शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है उन विद्यार्थियों के द्वारा अन्य विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित विषय में औसत अंक देकर संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 24	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिया गया</u>:- 1. विश्वविद्यालय में संचालित कोर्सो में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन/अध्यापन	परीक्षा नियंत्रक

	पूर्ण हो चुका हो उन सेमेस्टर कोर्सो की परीक्षा शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने हेतु विभागाध्यक्ष के द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किये जाने पर उनकी परीक्षा अतिशीघ्र आयोजित करायी जाय। 2. प्रो. शिव प्रसाद ने अवगत कराया कि पूर्व में संयोजक, अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा प्रश्न-पत्र का निर्माण किया जाता था परन्तु कुछ समय पूर्व निर्णय लिया गया कि संयोजकों से प्रश्न-पत्र निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा । कई बार ऐसा होता है कि समय की कमी एवं समय सीमा के कारण तत्काल प्रश्न-पत्र निर्माण कराना होता है परन्तु शिक्षकों के समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रश्न-पत्र निर्माण नहीं हो पाता है । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संयोजक, अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति पूर्व की भांति प्रश्न-पत्र निर्माण कार्य कर सकेंगे ।	परीक्षा नियंत्रक

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव